

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7990/2025

Krishan Nand Pandey S/o Shri Keshav Dutt Pandey, Aged About 57 Years, R/o 24, Damodar Pura, Kishor Nagar, Aurangabad Khadar, Mathura (U.p).

-----Accused/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.

-----Respondent

2. Ramveer S/o Shri Late Munshiram, Aged About 28 Years, R/o Village Kanawar, Police Station Bayana, District Bharatpur (Raj).

-----Complainant/Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Nikhlesh Katara, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.
Mr. Gaurav Gupta, Asst. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

26/02/2026

1. याची-अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 233/2020, पुलिस थाना- बयाना, जिला- भरतपुर, अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चार सप्ताह की वापसी के साथ अचायीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या-01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।
3. विद्वान् अधिवक्ता याची-अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची-अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसके द्वारा परिवादी पक्ष के साथ

कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है, उनका कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना लगभग वर्ष 2010 की होना प्रकट होता है, जबकि याची-अभियुक्त के.बी.सी.एल. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से वर्ष 2002 में ही इस्तीफा दे चुका था एवं उसका इस्तीफा मंजूर हो चुका था, वह घटना के समय उक्त कम्पनी में डायरेक्टर के पद पर या अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं था, उनका यह भी कथन है कि याची-अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, किन्तु पुलिस उसे पूर्व में उक्त कम्पनी में डायरेक्टर होने से गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची-अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।
5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।
6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची-अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **18.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **233/2020** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची-अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।
8. प्रकरण **चार सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J